


फर्द एहकाम
(नियम 133)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का विवरण	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुआ
14/3/18	पत्रावली पेश हुई। पितालीन अधिनियम राजकीय करों पर होने वाले पत्रावली वाले लाश्मकादी दिनांक 18.04.2018 को पेश हो।	
19/4/18	दि. 18/4 को परभुराज अर्जित भूमि होने से पत्रावली दि. 19/4 को पेश हुई। लाश्म हेतु वादी अधिनियम द्वारा अर्जित भूमि पूर्व में अंतिम अवर दिनांक पुकारे लाश्मकाल में 2007-08 कोर्ट पर अवर दिनांक आकर पत्रावली वाले लाश्मकादी दि. 19.5.2018 को पेश हो।	
4/5/18	<p>SDO</p> <p>न्याया अफे डार सिविल कोर्ट में नलकी पर पत्रावली पेश हुई। पक्ष-कारान उगीअत। वादी द्वारा लाश्म में गजहान PW-1 गौरीचंदर PW-2 सोगजी PW-3 अगेरीश जोशी PW-4 भागवत जोशी PW-5 सोगजी के अर्थान लेखबद्ध कराये गये अन्ध कोई लाश्म अस्तुत नहीं करना आता। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड को उदर्श कराया गया। पक्षकार की प्रत्येक भाग में अर्जित भूमि पर अपना कब्जा होने बताया तथा लादगस्त भूमि में वादीगणों के पूर्वजों के अन्ध ले जाते दारी होना तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा वादकर्तित भूमि को अामलात देह र्ज कर ली गई -</p>	<p>SDO</p> <p>गौरीचंदर जोशी</p>

तथा सैटलमेण्ट विभाग को
उक्त भूमि का रद्दी बदल करने
का अधिकार नहीं है। रौन्ग अलावा
भूमिदासी तहसीलदार आलपुर
द्वारा इस सम्बन्ध में कोई
साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

वारा वारीगण स्वीकार किया
जाकर ग्राम बडौडा को वारगुल
आसजीधत को समस्त बागडीध
पटेलान एवं क्षीगौड काहण बडौडा
को खार्तेदार कृषक घोषित किया
जाता है उनके नाम दर्ज करने
तहसीलदार आलपुर को आदेश
दिया जाता है। प्रतिकारीगण
को जरिये साई निषेधाज्ञा ले
पाकद किया जाता है कि वे
उक्त भूमि में वारीगण के
कब्जे काश्त में कोई व्यवधान
उत्पन्न न करे। विस्तृत निषेध
पत्रावली लिखा जा कर तालान
पत्रावली किया गया।

पत्रावली फौजदर शुभा एडवोकेट
वमकर से कम है।


श्री. वि. उमाश्री
कम बडौडा